न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–सुरेश राव आर.ए.एस.)
वाद संख्याः–08 / 2024
जी.सी.एम.एस.नं.–2024 / 126

सुदंरसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपुत निवारी चक 4 केएएस तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

——वादी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

————प्रतिवादी

<u>वाद पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

वकील उपस्थित

1. श्री सोमदत कचोरिया एडवोकेट –वादी की ओर से
2. राज पैरोकार –प्रतिवादी की ओर से

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर

–:: निर्णय ::– दिनांकः– 29/9/25

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वाके चक 1 केएएम (ए) तहसील अनूपगढ़ का नया खाता सं.–29 पुराना खाता सं.–27 का मुरब्बा नं.–14, पत्थर सं.–241 / 476 का किला नं.–1 / 2, 2, 3, 4, 5 / 1, 5 / 2, 6 / 1, 6 / 2, 7, 8, 9, 10 / 2 11 / 2, 12 में कुल 2.8830 हैक्टर कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि व चक 5 केएएम तहसील अनूपगढ़ का नया खाता सं.–77 पुराना खाता सं.–70 का मुरब्बा नं.–25 पत्थर सं.–121 / 27 का किला नं.–5, मुरब्बा नं.–21 पत्थर सं.–121 / 34 का किला नं.–1 / 1, 1 / 2, 2 / 1, 2 / 2, 3 / 1, 3 / 2, 4 / 1. 4 / 2, 5 / 1, 5 / 2, 6 ता 10 में कुल 2.7830 हैक्टर कमाण्ड मय खाला राजस्व रिकार्ड मे वादी के पिता शैतानसिंह के नाम से बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न है। यह कि वादी यहां यह स्पष्ट करना उचित समझाता हैं कि उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में आज भी वादी के पिता शैतानसिंह के नाम से दर्ज है। शैतानसिंह का दिनांक 19 / 8 / 14 को देहांत हो चुका है। शैतानसिंह के देहात के बाद उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि वादी एवं वादी की बहनों के नाम से विरास्तन दर्ज होने के संबंध में नामातंरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। लेकिन नामातंरण की कार्यवाही में वादी का नाम सुरेन्द्रसिंह व वादी की बहनो का घरेलु नाम ओमी कवर, भवंरी कंवर, रतु कंवर, सजन कंवर, होला कंवर ही दर्ज कर दिया गया था जो एक सद्भाविक एवं मानवीय भुल है। इसी आधार पर आगे राजस्व रिकार्ड में वादी व वादी की बहनों का नाम दर्ज करने की कार्यवाही जैरकार है। वादी व वादी का परिवार ग्रामीण परिवेश का था। वादी भी ग्रामीण परिवेश के है। वादी का सही व वास्तविक नाम सुदंरसिंह, वादी की बहनों का सही व वास्तविक ओमा कंवर, भवंर कंवर, रतन कंवर, सुरज कंवर व हवा कवर हैं लेकिन घर व रिश्तेदारी मे वादी को सुरेन्द्रसिंह व वादी की बहनो को ओमी [illegible] कवर, रतु कवर, सजन कवंर, व होला कवर के नाम से जानते व पुकारते थे तथा [illegible] वादी [illegible] उनकी बहनो के घरेलु नाम हैं तथा सभी को इन दोनो नामों से जानते व पुकारते थे। वादी [illegible] वादी की बहनो के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, [illegible] संलग्न है, में वादी का सही व वास्तविक नाम सुदंरसिंह व बहन ओमा कवंर, भवं[illegible]र, रतन कवर, सुरज कवर व हवा कवर हैं दर्ज है। लेकिन वादी व वादी की बहनो को घर मे उनके घरेलु नाम नाम से पुकारते थे इसलिए वादी व वादी की बहनो का नाम नामातंरण की कार्यवाही में घरेलु नाम दर्ज हो गया है। इस प्रकार वादी को इन दोनो नामों से जाना व पुकारा जाता है। वादी जो कि ग्रामीण परिवेश के है। वादी को पूर्व मे उक्त त्रुटि का कतई ज्ञान नही था। अब वादी उक्त कृषि भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:32:32 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

ऋण सुविधा की पत्रावाली तैयार करवाने के संबंध में अरसा 3 दिन पूर्व पटवारी हल्का से मिला तो पटवारी हल्का ने रिकार्ड देख कर बताया कि उक्त कृषि भूमि का आपके व आपकी बहनो के नाम से विरास्तन इंतकाल की प्रक्रिया विचाराधीन हैं तथा उसमे आपका नाम सुरेन्द्रसिंह व आपकी बहनों का घरेलु नाम ओमी कवंर, भवंरी कवंर, रतु कंवर, सजन कवंर व होला कवंर दर्ज है। जिस पर वादी ने पटवारी हल्का को बताया कि वादी का सही व वास्तविक नाम सुदंरसिंह व उसकी बहनो का सही व वास्तविक नाम ओमा कंवर, भवंर कवंर, रतन कवंर, सुरज कवंर, व हवा कवंर है और घर पर उन्हे उनके घरेलु नाम से बुलाते हैं और दोनों नाम हमारे ही हैं तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने के लिए माननीय अदालत में चाराजोही करने के लिए कहा। जिस पर वादी तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ के समक्ष उपस्थित हुआ तो उन्होने कहा कि सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें। बस यही बिनाय दावा बिनाय मुखास्मत है। वादी व वादी की बहनो का सही व वास्तविक नाम नामातंरण की कार्यवाही में दर्ज नहीं हैं जो कि एक सद्भाविक व मानवीय भूल है। भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेज में नाम अलग 2 होने के कारण वादी व उसकी बहनो को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा हैं क्योंकि राजस्व रिकार्ड में वादी व उसकी बहनों का नाम गलत रूप से दर्ज हैं और आवश्यक दस्तावेजात जैसे निर्वाचन आयोग को पहचान पत्र आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता व अन्य दस्तावेजात में वादी की बहनी का सही व वास्तविक नाम दर्ज है। जिससे वादी व उसकी बहनों की भविष्य में उक्त कृषि भूमि के संबंध में बैंक इत्यादी से लोन आदि लेने में काफी दिक्कत व परेशानीयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए नी न्यायहित में राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलत दर्ज हुऐ नाम को दुरुस्त किया जाकर सही नाम दर्ज किया जाना आवश्यक हैं ताकि भविष्य में वादी व उसकी बहनों को दो अलग–2 नाम दर्ज होने से किसी प्रकार की परेशानीयों का सामना ना करना पड़े और वादी व उसकी बहने अपने ही या वास्तविक नाम से ही अपनी उका कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कर सकें। इसलिए वादी माननीय न्यायालय से घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी एवं दावेदार है। फलस्वरूप वादीगण को माननीय अदालत की शरण में आना पड़ रहा है।

अतः याद वादी पेश कर निवेदन है कि बादी का वाद पत्र स्वीकार कर वाद बहक़ बादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से निर्णित व डिक्री फरमाया जावें।

इस अमर की घोषणात्मक डिक्री पारित की जावे कि कृषि भूमि वाके चक 1 केएएम (ए) तहसील अनूपगढ़ का नया खाता सं.–29 पुराना खाता सं.–27 का मुरब्बा नं.–14, पत्थर सं.–241/476 का किला नं.–1/2, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10/2 11/2, 12 में कुल 2.8830 हैक्टर कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि व चक 5 केएएम तहसील अनूपगढ़ का नया खाता सं.–77 पुराना खाता सं.–70 का मुरब्या नं.–25 पत्थर सं.–121/27 का किला नं.–5, मुरब्बा नं.–21 पत्थर सं.–121/34 का किला नं.–1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 10 में कुल 2.7830 हैक्टर कमाण्ड मय खाला रकबा, के राजस्व रिकार्ड मे वादी का सही व वास्तविक नाम सुदंरसिंह व वादी की बहनो ओमा कवंर, भवंर कवंर, रतन कवरं, सुरज कवंर, व हवा कवंर के नाम की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाकर प्रतिवादी को वादी व उसकी बहनो का सही व वास्तविक नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ से जवाब स्टेट प्राप्त किया गया। जबाब स्टेट तहसीलदार रिपोर्ट मृतक खाते[illegible] शैतानसिंह पुत्र [illegible] चक 1 केएएम (ए) व चक 5 केएएम में विरास्तन नामान्तरण दर्ज होकर ओ[illegible] सुरेन्द्रसिंह, पुष्पाकंवर, बालूकंवर, भवंरीकवंर, मजूकवंर, महावीरसिंह, रतुक[illegible] पुत्र/पुत्रीयां शैतानसिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज हो चुका है। वादी या वादी परिवा[illegible] उपलब्ध करवाये गये वारिसों के नाम से ही विरास्तन नामान्तरण दर्ज किया गया है। वादी स्वयं के साथ–साथ अपनी बहनो के नाम भी दुरूस्त करवाना चहता हैं जो कि पक्षकार वादी न[illegible] है। वादी स्वयं का नाम सुरेन्द्रसिंह से सुन्दरसिंह, ओमीकवंर से ओमाकवंर, भंवरीकवंर से भवरकवंर, रतुकवंर से रतनकवंर, सजनकवंर से सूरजकवंर तथा होलाकवंर से हवाकवंर दुरूस्त कररवाना चाहता है। रकबा में अन्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है। जबाव स्टेट सादर पेश है। रिपोर्ट के साथ–साथ वादीगण स्वयं का शपथ पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:32:32 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

पंचायत 3 एन डी दिनांक 03.04.2024 मे जारी सदस्य प्रमाण–पत्र व भंवर कवंर, ओमा कवंर, रतन कवंर, सुरज कवंर, सुदंरसिंह, हवा कवंर ने स्वयं का शपथ पत्र आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मेरे द्वारा मनन किया गया। वादी द्वारा अपनी मौखिक व तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा स्टेट जवाब व ग्राम पंचायत 3 एन डी दिनांक 03.04.2024 मे जारी सदस्य प्रमाण–पत्र व भंवर कवंर, ओमा कवंर, रतन कवंर, सुरज कवंर, सुदंरसिंह, हवा कवंर ने शपथ पत्र के आधार पर वादी का नाम भवंरी कवंर के स्थान पर भवंर कवंर, ओमी कवंर के स्थान पर ओमा कवंर, रतु कवंर के स्थान पर रतन कवंर, सजन कवंर के स्थान पर सुरज कवंर, सुरेन्द्रसिंह के स्थान पर सुदंरसिंह, होला कवंर के स्थान पर हवा कवंर दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत एवं वाद वादी बहक वादी विरूद प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी बहक वादी विरूद प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर सयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक 1 के ए एम(ए) मुरब्बा नं.–14 पत्थर नं.–241/476 कुल 2.883 व चक 5 केएएम का मुरब्बा नं.–25 पत्थर नं.–121/27 व मुरब्बा नं.–21 पत्थर नं.–121/34 कुल 2.783 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम **भवंरी कवंर के स्थान पर भवंरी कवंर उर्फ भवंर कवंर, ओमी कवंर के स्थान पर ओमी कवंर उर्फ ओमा कवंर, रतु कवंर के स्थान पर रतु कवंर उर्फ रतन कवंर, सजन कवंर के स्थान पर सजन कवंर उर्फ सुरज कवंर, सुरेन्द्रसिंह के स्थान पर सुरेन्द्रसिंह उर्फ सुदंरसिंह, होला कवंर के स्थान पर होला कवंर उर्फ हवा कवंर** प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ को उक्त आदेश को राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज **दिनांक** 29/9/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:32:32 IST
Reason: SelfAttested